दस्ती/अतिमहत्वपूर्ण

प्रेषक,
उप जिलाधिकारी
धारचूला।

सेवा में,
जिलाधिकारी,
पिथौरागढ़।

पत्रांक– 293 /रा०का०/अटल उत्कृष्ठ विद्यालय–सीबीएसई/2021 दिनांक– 19 अप्रैल 2021

विषयः– **केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से अटल उत्कृष्ट विद्यालय राजकीय इण्टर कॉलेज बरम के संबद्धीकरण/मान्यता हेतु राजकीय/राजस्व भूमि विद्यालय के नाम आवंटन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया शासनादेश संख्या–**1310/XXIV-B-I/2021-02(01)/2020**, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–1 देहरादून दिनांक 08 जनवरी 2021 के द्वारा जनपद पिथौरागढ़ के **रा०इ०का० बरम** एवं अन्य का अटल उत्कृष्ट विद्यालय हेतु चयन किया गया है तथा उपर्युक्त विद्यालयों के सी.बी.एस.ई. से मान्यता प्राप्त किये जाने हेतु आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निदेशक विद्यालयी शिक्षा को निर्देशित किया गया है। तदक्रम में मुख्य शिक्षा अधिकारी, पिथौरागढ़ के पत्रांक **नियो०–मा०शि०/एक–04/596–97/अ० उ०वि० /2021–22 दिनांक 19 अप्रैल 2021** द्वारा विद्यालय के नाम भूमि नामांतरण हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

2–ध्यातव्य है कि उपरोक्त शासनादेश के कम में सी.बी.एस.ई. नई दिल्ली द्वारा संबंधित विद्यालयों को संबद्धता प्रदान करते हुए मानकों का भौतिक सत्यापन किया जाना है, तद्नुसार विद्यालय के पास न्यूनतम 20 नाली भूमि होना आवश्यक है।

3–तदक्रम में तहसीलदार बंगापानी की मौका/स्थलीय निरीक्षण आख्या/प्रस्ताव में उल्लेख किया गया है कि ग्राम बरम के गैर ज०वि० खतौनी खाता सं० 41 की श्रेणी 10(2)–स्थल,सडक,रेलवे,भवन तथा ऐसी दूसरी भूमियां जो अकृषक उपयोग में लायी जाती हैं के *खसरा संख्या–168 में 0.166 हे० (5 नाली 13 मुट्ठी) भूमि रा.इ.का. बरम के नाम अंकित है जिस पर स्कूल भवन(स्कूल चौक) निर्मित है,* **जबकि ग्राम बरम के गैर ज०वि० खतौनी खाता सं० 45 की श्रेणी 10(2)–स्थल,सडक,रेलवे,भवन तथा ऐसी दूसरी भूमियां जो अकृषक उपयोग में लायी जाती हैं, किस्म की भूमि के पैमाईशी खेत नम्बर 0167 में 0.524 हे०, खसरा संख्या 0169 में 0.144 हे०, खसरा संख्या 0170 में 0.028 हे० व खसरा संख्या 0171 में 0.219 हे० कुल 04 खेत मध्ये 0.915 हे० (45 नाली 12 मुट्ठी) भूमि में रा०इ०का० बरम का स्कूल भवन व खेल का मैदान निर्मित है, जिस पर रा०इ०का० बरम का कब्जा है किन्तु उक्त भूमि रा०इ०का० बरम के नाम पर अंकित नहीं है। जिसका नक्शा, खसरा, खतौनी संलग्न है।** स्पस्टतया उपरोक्त भूमि उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–485/X-2-2020-15(50)/2014 दिनांक 19 फरवरी 2020 के आलोक में वन भूमि की परिधि में नहीं आती है।

4–अतः शासनादेश संख्या–111/XXVII(7)50(39)–2015/2015 दिनांक 09 जुलाई 2016 तथा शासनादेश संख्या–**496/XVIII(II)/2020-08(63)/2016 दिनांक 28 जुलाई 2020 के पैरा–3(1)** में निहित प्रावधानानुसार *(जिसमें प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त परियोजनाओं हेतु राज्य सरकार के प्रशासकीय/सेवारत विभागों को राजस्व विभाग के नियंत्रण की गैर वन राजकीय भूमि निःशुल्क हस्तांतरण/आवंटन का प्राधिकार संबंधित जिलाधिकारी में निहित है)* उत्तराखण्ड शासन के उपरोक्त शासनादेश संख्या–**1310/XXIV-B-I/2021-02(01)/2020** दिनांक 08 जनवरी 2021 द्वारा प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति के कम में उक्त **0.915 हे०** भूमि राजकीय इण्टर कॉलेज बरम के नाम निःशुल्क हस्तांतरण–नामांतरण की स्वीकृति प्रदान करने की संस्तुति की जाती है।

संलग्न– उपरोक्तानुसार।

उप जिलाधिकारी,
धारचूला

प्रतिलिपि– मुख्य शिक्षा अधिकारी, पिथौरागढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप जिलाधिकारी,
धारचूला

Scanned with OKEN Scanner